भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 168
(जिसका उत्तर मंगलवार, 19 जुलाई, 2016 को दिया गया)

<u>किसानों के कल्याण और सूखे से निपटने हेतु सीएसआर निधियां</u>

168. श्री मो. नदीमुल हक :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सीएसआर निधियों को किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर तथा सूखे से निपटने पर व्यय किया जा रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उपर्युक्त कार्यों पर सीएसआर निधि व्यय करने वाली कंपनियों का नाम और उनकी संख्या कितनी है; और
(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त कंपनियों द्वारा उपर्युक्त कार्यों पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (घ): कंपनियों के कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय का संकलन कंपनियों द्वारा कपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में दी गई सूची के अनुसार प्रमुख विकास के क्षेत्र-वार किया जाता है न कि योजना-वार। किसानों के लिए कल्याण योजनाएं और सूखे से निपटने संबंधी योजनाएं अनुसूची-VII की मद संख्या (X) के अनुसार 'ग्रामीण विकास परियोजनाओं' के अंतर्गत शामिल की जा सकती हैं।

वर्ष 2014-15 के लिए 460 सूचीबद्ध कंपनियों के नमूने के तौर पर का सीएसआर व्यय विश्लेषण करने से पता चलता है कि इन कंपनियों द्वारा 'ग्रामीण विकास परियोजनाओं' पर लगभग 724 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वर्ष 2014-15 के दौरान (इस अधिनियम के अधीन कंपनियों द्वारा सीएसआर कार्यान्वयन का पहला वर्ष) इन 460 कंपनियों द्वारा लगभग 6337 करोड़ रुपए का कुल सीएसआर व्यय किया गया।

*****